14.10.024

मु .नं. 43 / 2024 हुकमीदेवी बनाम मांगीलाल

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गंगासरा पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 2 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 4.57 हैक्टयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 6.30 हैक्टयर, कुल रकबा 10.94 हैक्टयर भूमि मुझ प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की पुश्तैनी आई हुई थी। वादग्रस्त आराजी में मुझ प्रार्थीया को अप्रार्थीगण ने वंचित कर बंटवाड़ा के जरिए अवैध व गलत इन्द्राज करवाया, जिसके नवीन खाता संख्या 13 के खसरा नम्बर 12 रकबा 3.15 हैक्टयर, खाता नम्बर 174 के खसरा नम्बर 1359 / 12 रकबा 3.15 हैक्टयर, खाता नम्बर 120 के खसरा नम्बर 1434 / 3 रकबा 1.82 हैक्टयर खसरा नम्बर 2 रकबा 0.07 हैक्टयर खसरा नम्बर 3 रकबा 2.286 हैक्टयर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थीया का 1 / 2 हिस्सा मालिकाना हक हकूक कब्जा काश्त का आया हुआ है। हरलाल के फौत होने पर उनके हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम जाईन्दा पुत्र अप्रार्थी 1 मांगीलाल व प्रार्थीया का बराबर–बराबर हिस्सा खातेदारी अमल दरामद फौतेदगी नामान्तरकरण का नाम दर्ज कर राजस्व एजैन्सी ने छाठ–गाठ कर प्रार्थीया को अपने मालिकाना हक हकूक से वंचित कर दिया। जिससे ऐसा करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही था। प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी में 1 / 2 हिस्सा की खातेदारी हक हकूक पाने की कानूनीय अधिकारी होने से दावा खातेदारी घोषणा का दावा माननीय अदालत में मजबूत आधारों पर पेश किया जा चुका है। पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 29.10.2001 को स्वीकृत होकर रामचन्द्र व मांगीलाल के अलग–अलग खातेदारी अमल दरामद हुई। मांगीलाल के खाते में दर्ज वादग्रस्त आराजी का मुझ प्रार्थीया का 1 / 2 हिस्सा मालिकाना कब्जा काश्त उपयोग होने व मौके पर प्रार्थीया की ढाणी स्थित है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 ने बाद में वादग्रस्त आराजी अपने बेटे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम अवैध कानूनी रूप से करा दिया, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है। इस प्रकार मांगीलाल को 1 / 2 हिस्से से ज्यादा भूमि का इन्द्राज अपने पुत्रो के नाम करवाने का अधिकार नही था। वादग्रस्त आराजी बैचान, रहन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 के साथ मिलकर कई बार प्रार्थीया को ऐलानिया धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बैचान करने का सौदा तय हो गया है, आप कब्जा खाली कर दो, आपको जबरन बैदखल कर देगे। वादग्रस्त आराजी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीया का वादग्रस्त हक हकूक एवं अपने पति हरलाल की भूमि में 1 / 2 हिस्से काश्त करने से रोककर व बेदखल कर भूमि आगे से अगे बैचान,रहन,तर्क,दान आदि कर देगें ऐसी सुरत में वद की बहुलताएं बढ़ेगी, प्रार्थीया को तरह–तरह के मुकदमें बाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आकलन कतई रूपयों द्रव्यों में संभव नही है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के फैसला तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थित बनाये रखे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने तथ्यों [illegible]ते हुए निवेदन किया, कि वादग्रस्त आराजी में [illegible] [illegible]ार प्रार्थीया हुकमीदेवी का ही है [illegible] नाम से वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषणा की जाती है तो मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

हमनें वकील उभय पक्ष की पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होने से न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner